"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2015 — अग्रहायण 30, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 30, 1937)

क्रमांक-11487/विधान/2015. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2015 (क्रमांक 37 सन् 2015) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 37 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015

वित्तीय वर्ष 2015-2016 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए राज्य की संचित निधि में से 22,72,98,70,220 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2015 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दो हजार दो सौ बहत्तर करोड़ अंठानवे लाख सत्तर हजार दो सौ बीस रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	0	100	100
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	6,55,99,100	70,00,000	7,25,99,100
03	पुलिस	राजस्व	29,04,53,530	0	29,04,53,530
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	64,08,500	0	64,08,500
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	6,27,60,000	0	6,27,60,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	56,36,00,200	0	56,36,00,200
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	19,08,89,000	0	19,08,89,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से से संबंधित व्यय	राजस्व	5,84,00,100	0	5,84,00,100
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	0	57,74,50,958	57,74,50,958
		पूंजी	0	0	0
13	कृषि	राजस्व	16,17,90,500	0	16,17,90,500
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,45,63,100	0	3,45,63,100
16	मछली पालन	राजस्व	46,45,000	0	46,45,000
17	सहकारिता	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	19,00,00,000	0	19,00,00,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	6,00,00,400	0	6,00,00,400
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	200	0	200
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	5,63,00,00,200	0	5,63,00,00,200
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	300	0	300
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	2,17,25,000	0	2,17,25,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,15,00,000	0	4,15,00,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	94,00,000	0	94,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	7,05,91,000	0	7,05,91,000
		पूंजी	33,97,77,200	0	33,97,77,200
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	200	0	200
43	खेल और युवक कल्याण	पूंजी	1,37,76,832	0	1,37,76,832

(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	76,00,000	0	76,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	100	0	100
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	राजस्व	1,25,100	0	1,25,100
		पूंजी	100	0	100
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	100	0	100
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	1,23,22,000	0	1,23,22,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
		पूंजी	8,80,00,000	0	8,80,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	13,50,00,00,000	0	13,50,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	33,98,76,900	0	33,98,76,900
		पूंजी	200	0	200
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	6,48,00,000	0	6,48,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	7,44,100	0	7,44,100
		पूंजी	3,43,00,100	0	3,43,00,100
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	राजस्व	400	0	400
71	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	2,40,50,000	0	2,40,50,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,22,61,400	0	10,22,61,400
		पूंजी	5,00,00,100	0	5,00,00,100
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	4,58,000	0	4,58,000
	योग -	राजस्व	15,79,95,63,630	58,44,51,058	16,38,40,14,688
		पूंजी	6,34,58,55,532	0	6,34,58,55,532
	वृहद योग		22,14,54,19,162	58,44,51,058	22,72,98,70,220

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 17 दिसम्बर, 2015

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.